न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 29.06.2022

मुकदमा नं0148/2022
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

भरोशी पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———— सायल

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन जिला करौली
2. रामकेश पुत्र मांगीलाल जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा तहसील करौली जिला करौली
3. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा ढिंढोरा जरिये शाखा प्रबन्धक ——— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं.1,2

निर्णय

दिनांक :– 7-7-22

प्रंकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है। जिसका सायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिसकी चारों तरफ से डोलमेंड होकर तारबन्दी हो रही है। सायल की उक्त भूमि के पूर्व दिशा में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मुरारीलाल ठेकेदार का खेत है तथा पश्चिम में गैरसायल सं01 व 2 का खेत है, जो उन्होंने आराजी साबिक खातेदार से खरीद किया है, उत्तर दिशा में आम रास्ता तथा दक्षिण दिशा में रामदयाल बनैसिंह का खेत है, सायल उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मौजूदा में सायल द्वारा फसल बाजरा काश्त की गई है, जिससे गैरसायल सं01 व 2 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।लेकिन गैरसायलान सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 भू–माफिया किस्म के व्यक्ति है, जो कि गरीब असहाय बलहीन लोगों की भूमियों को लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर हडपने की फिराक में रहते हैं। गैरसायल सं01 व 2 द्वारा सायल के पडौस में खेत खरीद किये जाने के कारण गैरसायल सं01 व 2 सायल की जमीन की डौल मेढ को तोडकर अपनी जमीन में मिलाना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। सायल गरीब, असहाय व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 15.06.2022 का है कि गैरसायल सं01 व 2 ने सायल से बिना पूछे ही हल्का पटवारी को साथ लेकर जमीन की नापतोल कर सायल को खातेदार व कब्जे काश्त की जमीन में जबरन घुसकर अतिक्रमण कर रहे थे, सायल ने गैरसायल सं01 व 2 से कहा कि भाईयो यह जमीन मेरी खातेदारी की है तुम इसकी नापतोल व कब्जा करने का प्रयास मत करो, सायल ने गांव के पंच पटेलों को बुलाकर गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया लेकिन गैरसायल सं01 व 2 की नीयत में बदयातिं होने के कारण उन्होनें पंच पटेल व सायल की एक नहीं मानी तथा नापतोल कर सायल की उक्त जमीन पर कब्जा करने पर आमादा हो गये और गैरसायल सं01 व 2 ने सायल को ऐलानियॉ धमकी दी कि हम तेरी जमीन पर कब्जा करके रहेगें तेरे से बने सो कर ले, सायल ने गैरसायल सं01 व 2 को हाथाजोडी कर काफी समझाने का प्रयास किया मगर गैरसायल सं01 व 2 किसी की एक मानने को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तैयार नहीं है। अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केस, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 4331/3298 रक़बा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ से सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। सायल को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे सायल के हक, हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। गैरसायलान भूमि की मौका स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01,2 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उक्त प्रकरण सायलान द्वारा एकदम गलत, मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण में सायलान की सफलता की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 गलत है, अस्वीकार है। खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 भूमि से करीब 10 एयर अधिक भूमि पर कब्जा है अर्थात सायलान द्वारा मौके पर करीब 35 एयर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार सायलान द्वारा गैरसायलान की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमि को हडपने की गर्ज से उक्त मुकदमा पेश किया है। जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है,अस्वीकार है। बाका दिनांक 15.06.2022 एकदम गलत मनगढन्त व कपोल कल्पित अंकित करवाया है, जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05, गलत है, अस्वीकार है।

विशेष विवरण :–

ज़बाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा गैरसायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाबत् गैरसायलान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत सायलान को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया। जिसमें श्रीमान् द्वारा दिनांक 05.05.2022 को आदेश पारित फरमाते हुए खसरा नम्बर 3299 के 29 एयर रकबे का सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी के आदेश पारित फरमाये हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सूरौठ द्वारा मौके पर पहुॅचकर जब नाप तोल करना प्रारम्भ किया तो सायलान द्वारा उसका विरोध किया। जिस पर पुलिस इमदाद के बावजूद भी सायलान द्वारा श्रीमान्जी के आदेश की पालना नहीं करने दी। अब सायलान उक्त आदेश को निष्प्रभावी करने के आशय से इस अदालत को मुगालता देकर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहते हैं, जो किन्ही भी परिस्थितियों में सम्भव नहीं है एवं सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र हाईड एण्ड सीक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के प्रिंसिपल के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसमें सायलान को कोई इक्यूटेबिल रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलं सं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार हि01/2 जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन खातेदार, रामकेश पुत्र मांगीलाल हि01/2 जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा तहसील करौली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 80/2021 उनवानी प्रदीप वगैराह बनाम तहसीलदार हिण्डौन वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में दिनांक 05.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये गये कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सूरौठ से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 3299 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायल पक्षकार था, सायल ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के जबाव के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि पत्थर गढी कराये जाने से पूर्व कानूनन सीमांकन कराया जाना आवश्यकीय है, सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थना पत्र हाजा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में सायल पक्षकार था, जिसको सुनने एवं उनके जबाव को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.05.2022 को गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिये गये हैं। सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी कराये जाने से सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। यदि सायल को न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 05.05.2022 से कोई आपत्ति है तो उसकी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील दायर करता। इस न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं करता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सायल ने मौके पर अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भू–भाग पर कब्जा किया हुआ है तथा गैरसायलान का मौके पर खातेदारी के मुताविक कम रकबा है, जिसे सायल द्वारा अपने खेत में मिलाना प्रतीत होता है। फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3299 के पश्चिमी दिशा के लगमा खसरा नम्बर 4331/3298 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ स्थित होना स्पष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का सायल खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के गैरसायल सं01 व 2 खातेदार काश्तकार हैं। ग्राम मिल्कीपुरा के खसरा नम्बर 3299 के पश्चिमी भुजा के लगमा हाल खसरा नम्बर 4331/3298 स्थित है। इसी न्यायालय ने मुकदमा नं0 80/2021 उनवानी प्रदीप वगैराह बनाम तहसीलदार हिण्डौन वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में दिनांक 05.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये गये कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सूरौठ से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खसरा नम्बर 3299 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायल पक्षकार था, सायल ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के जबाव के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि पत्थर गढी कराये जाने से पूर्व कानूनन सीमांकन कराया जाना आवश्यकीय है, सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थना पत्र हाजा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में सायल पक्षकार था,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसको सुनने एवं उनके जबाव को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.05.2022 को गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिये गये हैं। सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी कराये जाने से सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। यदि सायल को न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 05.05.2022 से कोई आपत्ति है तो उसकी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील दायर करता। इस न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं करता। जिससे साफ जाहिर है कि सायल उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2022 को जारी आदेश की पालना में रूकावट पैदा करना चाहता है। तहसीलदार सूरौठ द्वारा नियमानुसार गैरसायल सं0 1व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 का सीमाज्ञान करते हुए गैरसायल सं01 व 2 को पत्थगर गढी कराना है। जिसके लिए वह स्वतंत्र है। सायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा कर रहे हो। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नजर आता है और ना ही सायलान का अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही साबित है, तथा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, बल्कि प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 4331/3298 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 7-7-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली